"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934)

क्रमांक-14531/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के **नियम 64 के** उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पुर:**स्थापित** हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 16 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह 1 नवम्बर 2000 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

अध्याय 6-क का लोप. 2. छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) के आ-सुधार अंशदान से संबंधित, अध्याय 6-क का लोप किया जाए.

उद्देश्य और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश में समुन्नति अंशदान वसूली को स्थगित रखा गया था. 1 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में अंतिम निर्णय न हो पाने के कारण समुन्नति अंशदान की वसूली नहीं की जा रही है.

छत्तीसगढ़ विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन 2001-02 के पैरा 5.33 में "आ-सुधार अंशदान" की वसूली के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की है.

लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा का दृष्टिगत रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि "आ-सुधार अंशदान" की वसूली नहीं की जानी चाहिये. अत:, छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 में "आ-सुधार अंशदान" की वसूली से संबंधित अध्याय 6-क का लोप किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 में संशोधन आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक : 8 दिसम्बर, 2012

रामविचार नेताम
जल संसाधन मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अध्याय 6-क का उद्धरण निम्नानुसार है :—

* * * * * * * * * * * * * *

अध्याय 6-क

आ-सुधार अंशदान

धारा 58-ए **नई नहर एवं कमांड क्षेत्र की परिभाषा**-इस अध्याय के प्रयोजन के लिये :—

(a) **अभिव्यक्ति "नई नहर" से तात्पर्य**—

(i) उस नहर से है जिसका निर्माण कार्य एक अप्रैल सन् 1951 को या उसके पश्चात् हाथ में लिया गया हो, या

(ii) ऐसी विद्यमान नहर से है, जिसका सुधार या विस्तार कार्य उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् हाथ में लिया गया हो, और जिसके यथास्थिति निर्माण या सुधार या विस्तार कार्य का खर्च 5 लाख रुपये या उससे अधिक हो या जिससे एक हजार एकड़ या उससे अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकती हो, और जो राज्य शासन द्वारा नहर के रूप में अधिसूचित की गई हो;

(b) "सिंचित किया जा सकने वाला क्षेत्र" से तात्पर्य किसी नई नहर के संबंध में, ऐसी समस्त भूमियां समाविष्ट करने वाले क्षेत्र से है, जिसकी सिंचाई उस नहर से सामान्य जल-प्रवाह द्वारा तथा जल का उद्वहन किये बिना या उसे पम्प से खींचे बिना की जा सकती हो,

परन्तु उस नई नहर, के सम्बन्ध में, जिसकी कि व्यवस्था किसी विद्यमान नहर में सुधार करके या उसका विस्तार करके की गई हो, वह क्षेत्र जिसकी कि सिंचाई ऐसी विद्यमान नहर द्वारा पहले से ही की जा रही थी, सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र में समाविष्ट हुआ नहीं समझा जायेगा.

धारा 58-बी. **विलोपित**

धारा 58-सी. **आ-सुधार अंशदान का लगाया जाना**—

(1) ऐसे दिनांक से जिसे कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा नियत करे और जो किसी नई नहर को चालू किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष से अधिक पूर्व का न हो, भूमि के ऐसे प्रत्येक स्थायी, धारक पर, जिसकी कि भूमि सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्थित हो, आ-सुधार अंशदान निम्नलिखित दरों से लगाया जायेगा :—

(a) 140 रुपये प्रति एकड़ जो एकमुश्त देय होगा, या

(b) 224 रुपये प्रति एकड़, जो लगातार बीस वर्षों तक, जिनमें से वे वर्ष छोड़ दिये जायेंगे जिनमें धारा 58-आई के अनुसार राज्य शासन द्वारा उसकी वसूली स्थगित कर दी गई हो, निम्नानुसार देय होगा :—

(i) प्रथम पांच वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8 रुपये प्रति एकड़,

(ii) अगले चौदह वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रति एकड़,

(iii) बीसवें वर्ष के लिए 16 रुपये प्रति एकड़.

(2) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया आ-सुधार अंशदान स्थायी धारक के विकल्प पर, उपधारा (1) के अधीन नियत की गई दिनांक से तीन मास के भीतर एक मुश्त या बीस वार्षिक किश्तों में चुका जा सकेगा, प्रथम किश्त उपधारा (1) के अधीन नियत की गई दिनांक से दो माह के भीतर देय होगी और बाद की वार्षिक किश्तें उस

दिनांक से जिसको कि वे प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में चुकायी जानी हो एक मास के भीतर देय होगी.

परन्तु यदि कोई स्थायी धारक, जिसने वार्षिक किश्तों में आ-सुधार अंशदान चुकाने का वचन दिया हो, प्रथम या बाद की किश्त की देनगी के पश्चात् किसी भी समय एक मुश्त देनगी करने की वाँछा करें, तो उससे प्रति एकड़ ऐसी रकम पूरी चुकाने के लिए अपेक्षा की जायेगी, जो कि उस अन्तर के बराबर हो जो कि 140 रुपये प्रति एकड़ तथा उस पर ऐसा ब्याज, जिसकी गणना 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से उपधारा (1) के अधीन नियम की गई दिनांक से एक मुश्त ऐसी देनगी की जाने के दिनांक तक की कालावधि के लिये की जायेगी, जोड़कर आने वाली रकम के तथा ऐसी किश्तों के रूप में उसके द्वारा पूर्व में चुकाई रकम के मध्य हो.

(3) आ-सुधार अंशदान की किसी भी किश्त या उसके भाग पर, जो कि उपधारा (2) के अन्तर्गत कालावधि के समाप्त होने पर अदत्त रहे, ऐसी कालावधि के समाप्त होने के दिनांक से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा ;

परन्तु जब किसी किश्त की वसूली धारा 58-आई के अधीन स्थगित कर दी जावे तब ऐसी किश्तें उस कालावधि में, जिसके कि दौरान उसकी वसूली स्थगित रहे, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अदत्त रही नहीं समझी जायेगी.

(4) यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाये कि आ-सुधार अंशदान के लगाये जाने से सिंचित किये जाने वाले किसी क्षेत्र में किसी स्थायी धारक को या ऐसे धारकों के वर्ग को कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है, जो राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र में ऐसे धारक को या ऐसे धारकों के वर्ग को आ-सुधार अंशदान की रकम की देनगी से पूर्णत: या अन्शत: जैसा कि अधिसूचना में उल्लेखित किया जाये, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसे कि राज्य शासन अधिरोपित करना उचित समझे, छूट दे सकेगा.

व्याख्या— उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए आ-सुधार अंशदान का लगाया जाना कठिनाई उत्पन्न करने वाला समझा जायेगा, यदि —

(i) नई नहर के परिणाम स्वरूप, सिंचित किए जा सकने वाले क्षेत्र में स्थित भूमि के मूल्य ऐसी नहर से सिंचाई की सुविधाओं के प्राप्त होने के पूर्व प्रचलित रहे मूल्यों के 50 प्रतिशत से अधिक न बढ़ गये हों,

(ii) स्थायी धारक, जिसने नई नहर का चालू किया जाना प्रारम्भ होने के पूर्व, अपनी भूमि पर प्रायवेट सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों (इरीगेशन वर्क्स) का निर्माण पहले से ही कर लिया हो ऐसी नई नहर से सिंचाई की सुविधाओं का लाभ न उठाना चाहता हो.

धारा 58-डी. **सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र की राज्य शासन द्वारा अधिसूचना**— धारा 58-सी की उपधारा (1) के अधीन वह दिनांक, जिससे कि आ-सुधार अंशदान लगाया जायेगा, नियत करने के पूर्व, राज्य शासन एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें—

(i) सिंचित किया जा सकने वाला क्षेत्र, उसकी सीमायें निर्धारित करते हुए उल्लेखित किया जायेगा,

(ii) वह स्थान नियत किया जायेगा या वे स्थान नियत किए जायें जहां पर उन स्थायी धारकों के खातों की विशिष्टियां देखी जा सकती हैं, जिनकी कि भूमियां उस सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि खण्ड (i) में उल्लिखित है.

(iii) उप जिला पदाधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का राजस्व पदाधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) नियुक्त किया जायेगा जो प्रत्येक स्थायी धारक द्वारा देय आ-सुधार अंशदान के संबंध में जांच करेगा और उसकी रकम अवधारित करेगा, और

(iv) ऐसा दिनांक, जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास से कम न हो, उल्लिखित किया जायेगा और उक्त क्षेत्र में के ऐसे प्रत्येक स्थायी धारक से, जिसे किसी भूमि के सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने या अपने खाते के सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में आपत्ति हो, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्राधिकृत पदाधिकारी को ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व लिखित आपत्ति, जिसमें उसकी आपत्ति के स्वरूप तथा उसके द्वारा चाही गई सहायता का उल्लेख हो, प्रस्तुत कर दें.

धारा 58-ई. **प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा**— प्राधिकृत पदाधिकारी, अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी अधिसूचना के जारी किये जाने की सूचना सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में डोण्डी पिटवाकर और उस सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र के, जो कि धारा 58-डी के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लेखित किया गया हो, समस्त ग्रामों में सहजगोचर स्थानों पर सूचना की प्रतिलिपियां चिपकाकर भी प्रकाशित करवायेगा. ऐसी सूचना में वह समय तथा स्थान भी बतलाया जायेगा जहां पर कि प्राधिकृत पदाधिकारी धारा 58-ई के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियों की जांच करेगा.

धारा 58-एफ. **प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जांच**— प्राधिकृत पदाधिकारी धारा 58-ई के अधीन सूचना में बतलाये गये स्थान पर धारा 58-डी के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियों की ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक प्रतीत हो तथा आपत्ति प्रस्तुत करने वाले स्थायी धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह उचित समझे.

धारा 58-जी. **प्राधिकृत पदाधिकारी की शक्तियां**— धारा 58-एफ के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत पदाधिकारी अपने ग्रेड के राजस्व पदाधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां प्रयोग में लायेगा और मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में उस प्रयोजन के लिए दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

धारा 58-एच. **धारकों द्वारा देय आ-सुधार अंशदान का अवधारण**—

(1) धारा 58-डी के अधीन प्रस्तुत की गई आपत्तियों का, यदि कोई हों, निपटारा किये जाने के पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी निम्नलिखित को उल्लेखित करते हुए आदेश प्रदान करेगा :—

(a) भूमियां (खसरा क्रमांकों तथा क्षेत्रफल सहित) जो नयी नहर द्वारा सिंचित कि जा सकती हों,

(b) ऊपर (a) के अधीन उल्लेखित की गई भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक स्थायी धारक द्वारा देय आ-सुधार अंशदान.

(2) आदेश विहित रीति में अधिसूचित किया जायेगा और उसकी प्रतिलिपि लोक निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर तथा ऐसे समय के लिए जो कि विहित किया जाये, रखी जायेगी.

धारा 58-एच. एच. **अपील**— धारा 58-एच. के अधीन पारित किये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत होगी जो कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त संहिता के अधीन उसी ग्रेड के पदाधिकारी के आदेश पर से अपील सुनने के लिए सक्षम हो और उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध उस पर तद्नुसार लागू होंगे.

परन्तु कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जावेगी जब तक कि—

(i) प्रथम अपील की दशा में, वह ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, दिनांक से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत न की गई हो, और

(ii) द्वितीय अपील की दशा में वह ऐसे आदेश के, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाये.

परन्तु यह और भी कि—

(i) पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जायेगा, और

(ii) लिमिटेशन एक्ट, 1963 (क्रमांक 36 सन् 1963) की धारा 5 के उपबन्ध ऐसी अपीलों को लागू होंगे.

धारा 58-एच. एच. एच. **पंचाट की अन्तिमता**— धारा 58-एच.एच. के अधीन अपील में पारित किये गये आदेशों के अधीन रहते हुए, धारा 58-एच. के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम होगा.

धारा 58-आई. **किश्त के भुगतान का स्थगन—** जब सम्पूर्ण भू-राजस्व या लगान जैसे भी स्थिति हो, स्थायी धारक द्वारा ऐसी भूमि के संबंध में देय है, जिसके वह आ-सुधार अंशदान के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी है, किसी वर्ष में स्थगित की जाती है, राज्य शासन इस अध्याय एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आ-सुधार अंशदान की किश्त की वसूली ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है.

धारा 58-जे. **आ-सुधार अंशदान भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा—**

(1) इस अध्याय के अधीन आ-सुधार अंशदान राजस्व पदाधिकारियों को उसी रीति में देय होगा जिस प्रकार कि भू-राजस्व तथा देनगी में चूक करने पर वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा.

(2) उगाहे गये आ-सुधार अंशदान की रकम ऐसे शीर्षक के अधीन, जो कि विहित किया जाये, राज्य के राजस्व के रूप में आंकलित की जायेगी.

धारा 58-के. **नियम बनाने की शक्ति —** इस अध्याय के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु नियमों का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इस तरह बनाये गये नियम के अभाव में धारा 63 के तहत् निर्मित नियम इस सम्बन्ध में जहां तक हो सकता है लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.